राजस्थान सरकार

कार्या. खनिअभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर

शिकायत जांच रिपोर्ट

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन शिकायत संख्या 01805554342054 पर प्राप्त परिवाद, दिनांक 20/08/18 को "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का शीर्षक मुसीबतों का पहाड़ टूटा.... मगर सवाल अब भी खड़ा, जिम्मेदार कौन...? की जांच हेतु परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार से ~~शिकायत~~ शिकायत में वर्णित दूरभाष दूरभाष नं. 9828346151 पर सम्पर्क किया गया किन्तु ज्ञानेश कुमार जी द्वारा जयपुर से बाहर होना बताया। तत्पश्चात आमागढ़ पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखा तो पाया कि पहाड़ी की तलहटी में कच्चे-पक्के मकान बने हुए हैं एवं उक्त पहाड़ी वनखण्ड का भाग है जिसमें पूर्व में क्वारी लाइसेंस के माध्यम से खनन किया जाता था जहां माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12/12/1996 से खनन बंद कराया हुआ है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र / पहाड़ी वन-विभाग के ही कब्जे में है। दिनांक 20/08/18 को हुयी दुर्घटना के संबंध में मौका-स्थिति देखने से ज्ञात होता है कि ~~कि~~ पहाड़ी की तलहटी (foot-hill) में बने मकानों पर पुराने खनन पिट का कुछ हिस्सा टूट गया एवं मलबा / पत्थर उक्त मकानों पर आ गिरा जिससे उक्त दुर्घटना घटित हुयी। मौका रिपोर्ट श्रीमानजी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 19/10/18

(हस्ताक्षर) 10/08/18.

Scanned by CamScanner